न्यायालय– सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी, जिला– पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत(RAS)
राजस्व विविध संख्या– 13/2020
तारीख निर्णय–27/08/2021

प्रार्थीगण :–

1– रमेश पुत्र स्व. घीसारामजी, उकम्र– वयस्क, जाति– सीरवी चौधरी, निवासी– आना, तहसील– देसूरी, जिला– पाली राज.
2– दौलाराम पुत्र स्व. घीसारामजी, उम्र–वयस्क, जाति– सीरवी चौधरी, निवासी– आना, तहसील– देसूरी, जिला– पाली राज.
3– मॅंजू पुत्री स्व. घीसारामजी पत्नि रूपारामजी, उम्र– वयस्क, जाति– सीरवी चौधरी, निवासी– आना, तहसील–देसूरी हाल निवासी– सोनाणा, जिला– पाली राज.
4– लहरी पुत्री स्व. घीसारामजी उम्र– अवयस्क जरिये कुदरती वलीमाया माता फुलकी देवी, जाति– सीरवी चौधरी, निवासी– आना, तहसील– देसूरी, जिला– पाली राज.
5– फुलकी पत्नि स्व. घीसारामजी, उम्र–वयस्क, जाति– सीरवी चौधरी, निवासी– आना, तहसील– देसूरी, जिला– पाली राज.

–: बनाम :–

अप्रार्थीगण–

1– अमराराम पुत्र स्व. पोमारामजी उम्र वयस्क, जाति सीरवी चौधरी निवासी– आना, तहसील– देसूरी जिला– पाली राज.
2– मांगीलाल पुत्र स्व. फुसा उम्र वयस्क, जाति सीरवी चौधरी निवासी– आना, तहसील– देसूरी जिला– पाली राज.
3– कन्या पुत्री लुम्बाराम उम्र वयस्क, जाति सीरवी चौधरी निवासी– आना, तहसील– देसूरी जिला– पाली राज.
4– भीमाराम (कीकाराम) पुत्र लुम्बाराम, उम्र वयस्क, जाति सीरवी चौधरी निवासी– आना, तहसील– देसूरी जिला– पाली राज.
5– जगाराम पुत्र लुम्बाराम उम्र वयस्क, जाति सीरवी चौधरी निवासी– आना, तहसील– देसूरी जिला– पाली राज.
6– पुनाराम पुत्र लुम्बाराम उम्र वयस्क, जाति सीरवी चौधरी निवासी– आना, तहसील– देसूरी जिला– पाली राज.
7– फुलकी पत्नि लुम्बाराम उम्र वयस्क, जाति सीरवी चौधरी निवासी– आना, तहसील– देसूरी जिला– पाली राज.
8– वीरमाराम पुत्र लुम्बाराम उम्र वयस्क, जाति सीरवी चौधरी निवासी– आना, तहसील– देसूरी जिला– पाली राज.
9– कंकु पत्नि मोती उम्र वयस्क, जाति सीरवी चौधरी निवासी– आना, तहसील– देसूरी जिला– पाली राज.
10– खेताराम पुत्र मोती उम्र वयस्क, जाति सीरवी चौधरी निवासी– आना, तहसील– देसूरी जिला– पाली राज.
11– गमना पुत्र केसा उम्र वयस्क, जाति सीरवी चौधरी निवासी– आना, तहसील– देसूरी जिला– पाली राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 15:33:22 IST
Reason: SelfAttested

––कमशः पेज– 2 पर.....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

12– चन्दा पुत्र सरता उम्र वयस्क, जाति सीरवी चौधरी निवासी– आना, तहसील– देसूरी जिला– पाली राज.
13– जीवा पुत्र सरता उम्र वयस्क, जाति सीरवी चौधरी निवासी– आना, तहसील– देसूरी जिला– पाली राज.
14– डुँगाराम पुत्र उदाराम उम्र वयस्क, जाति सीरवी चौधरी निवासी– आना, तहसील– देसूरी जिला– पाली राज.
15– भेराराम पुत्र उदाराम उम्र वयस्क, जाति सीरवी चौधरी निवासी– आना, तहसील– देसूरी जिला– पाली राज.
16– नगा पुत्र माना उम्र वयस्क, जाति सीरवी चौधरी निवासी– आना, तहसील– देसूरी जिला– पाली राज.
17– लादा पुत्र माना उम्र वयस्क, जाति सीरवी चौधरी निवासी– आना, तहसील– देसूरी जिला– पाली राज.
18– मगा पुत्र चेला उम्र वयस्क, जाति सीरवी चौधरी निवासी– आना, तहसील– देसूरी जिला– पाली राज.
19– श्रीमान् तहसीलदारजी देसूरी जिला पाली राज.

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,92अ,53 आर.टी.एक्ट

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 आर.टी.एक्ट रेडविथ आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी.

उपस्थिति–
श्री दिव्य प्रकाश त्रिवेदी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
श्री शंकरलाल मीणा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से।
अप्रार्थीगण संख्या– 2 से लगाय–18 के विरूध एक पक्षीय कार्यवाही।

–: निर्णय :– दिनांक– / /2021

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से मूल वाद–पत्र खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा– 88, 89, 188, 92ए, 53 राज.काश्त. अधिनियम, 1955 के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया, जिसके साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राज.काश्त. अधिनियम, 1955 सपठित आदेश– 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थीगण ने श्रीमान् न्यायालय के समक्ष एक वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण किया है जिसमे प्रार्थीगण को पुर्ण सफलता मिलेगी प्राइमाफेसी केस प्रार्थीगण के पक्ष मे है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि ग्राम आना, तहसील– देसूरी, जिला– पाली मे आई हुई स्थित है, जिसके पुराने व नये खसरा नम्बर इस प्रकार है, जिससे वाद मे आगे वादग्रस्त आराजी से सम्बोधित किया गया है–

खाता सं.	नये ख.न.	रकबा(हैक्टर)	किस्म	पुराने ख.नं.
244	729	3.49	बारानी	241
	720	0.10	बारानी	242/1
	731	1.92	बारानी	242/2

कुल खसरा 3 कुल रकबा– 5.51 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 15:33:22 IST
Reason: SelfAttested

––क्रमशः पेज– 3 पर.....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

इस प्रकार उक्त वादग्रस्त आराजी का मिलान क्षेत्रफल व पुराना व नया राजस्व रेकर्ड साथ सलंग्न है। उक्त वादग्रस्त आराजी स्व. फुसाजी से प्राप्त हुई है स्व. फुसाजी के परिवार की वंशावली प्रार्थना–पत्र मे दर्ज की है। उक्त वादग्रस्त आराजी मे स्व. फुसाजी का 1/2 हिस्सा निहित थ्शा जिनके पिछे उनके तीन पुत्र वारिस हुये इस प्रकार स्व. पोमाराम का वादग्रस्त आराजी मे हिस्सा निहित हुआ जिनके पीछे दो वारिस पुत्र हुए स्व. घीसाराम व अमराराम जो स्व. फुसाजी के कोपासनर हुये। स्व. पोमारामजी के जीवनकाल मे ही स्व. घीसाराम की मृत्यु हो गई लेकिन उनके दो पुत्र व एक पुत्री वारिसो का जन्म स्व. पोमारामजी के जीवनकाल हुआ जो वादीगण है, जो की स्व. पोमारामजी के कोपासनर होने के नाते अपने उक्त वादग्रस्त सहदायिक सम्पति मे अपने दादाजी से प्राप्त आराजी मे हिस्से के अधिकारी जन्म के समय से ही हो गये थे जिसके तहत उनका वादग्रस्त आराजी मे हिस्सा निहित है जिसे वे प्राप्त करने के अधिकारी है इस प्रकार प्राईमाफेसी केस प्रार्थीगण के पक्ष मे है। वादीगण के दादा स्व. पोमारामजी के पिताजी स्व. फुसाजी के जीवनकाल मे उनके दो पुत्र वारिस का जन्म हो गया था इस प्रकार वे स्व. फुसाजी के कोपासनर थे जिसके तहत उनका वादग्रस्त आराजी मे हिस्सा स्व. पोमारामजी के जीवनकाल मे ही हिस्सा निहित हो गया था इस प्रकार वादग्रस्त आराजी मे स्व. पोमारामजी का 1/6 हिस्सा होना गलत है इस प्रकार सुविण्धा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है। राजस्व रेकर्ड मे स्व. पोमारामजी का नाम व गलत हिस्सा दर्ज होने से स्व. पोमारामजी ने वादग्रस्त आराजी मे दर्ज अपना 1/6 हिस्सा अपने पुत्र प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष मे सम्पुर्ण हिस्से का बक्शीशनामा दिनांक– 19/7/2020 को अपने पक्ष मे बदनियतिवश करवा दिया व उक्त बक्शीश नामे के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 ने रेकर्ड मे अपना नाम सम्पुर्ण हिस्से मे दर्ज करवा दिया जबकि वादग्रस्त आराजी संयुक्त पुश्तैनी खातेदारी भूमि है जिसका किसी प्रकार विधिक बंटवाडा किया हुआ नही है तथा सहदायिक सम्पति होने से वादीगण सं. 1 से 3 का जन्म से हिस्सा निहित है इस प्रकार वादग्रस्त आराजी मे स्व. पेमारामजी का सम्पुर्ण 1/6 हिस्सा निहित नही है न ही उक्त वादग्रस्त आराजी मे उनका हिस्सा उनकी स्व. अर्जित सम्पति है इस प्रकार जो बक्शीशनामा सम्पुर्ण हिस्से का करवाया है वो शून्य है, जिससे करने का कोई अधिकार स्व. पोमारामजी को नही था न ही कोई अधिकार प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त होते है इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है। उक्त वादग्रस्त आराजी बाबत बक्शीशनामा केवल वादीगण स्व. घीसारामजी के वारिसान को उनके पुश्तैनी आराजी मे उनके हिस्से से वंचित करने की बदनियति से उक्त दस्तावेज करवाया गया है जो शुन्य दस्तावेज है जिससे कोई अधिकार अप्रार्थी सं.1 को प्राप्त नही होते है, यह कि उक्त शुन्य दस्तावेज के आधार पर अप्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे नामान्तरण करवा दिया है जिस आधार पर अप्रार्थी सं.1 प्रार्थीगण को उनकी पुश्तैनी आराजी से बेदखल कर देगा व वादग्रस्त आराजी का सम्पुर्ण हिस्सा किसी अजनबी पक्षकार को बेचान कर प्रार्थीगण को क्षति पहुँचायेगा जिसकी क्षति पुर्ति किसी भी प्रकार संभव नही है व वादग्रस्त आराजी के मौके की स्थिति मे परीवर्तन करेगा इस प्रकार अपुरर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है। [illegible] बक्शीशनामा किस प्रयोजन से प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष मे किया इसका भी कोई वर्णन उक्त [illegible] मे नही है न ही उक्त बक्शीशनामे अनुसार वादग्रस्त आराजी के [illegible] जबकि वादरीगण व प्रतिवादी सं.1 बराबर वादग्रस्त आराजी पर काबिज [illegible] रहे है जिस आधार पर भी उक्त दस्तावेज शुन्य होकर कोई अधिकार इससे प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त नही होते है इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र के तीनो बिन्दु प्रा[illegible] के पक्ष मे है। वादग्रस्त आराजी का

——कमशः पेज– 4 पर......

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 15:33:22 IST
Reason: SelfAttested

जब तक विधिक बंटवाडा बाई मिटस एण्ड बाउण्ड नही हो जाता तब तक कोई भी पक्षकार वादग्रस्त आराजी का बेचान व हस्तान्तरण न करे व मौके की स्थिति मे किसी प्रकार रद्दोबदल नही करे इस बाबत भी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करावे। स्व. पोमारामजी वृद्ध व अनपढ व्यक्ति थे जिसका गलत फायदा उठाते हुये अप्रार्थी सं.–1 ने विधिविरूद्ध तरीके से बक्शीशनामा अपने पक्ष मे करवाया है जो शुन्य उससे किसी प्रकार का कोई अधिकार अप्रार्थी सं. 1 को प्राप्त नही होते है इसलिये उक्त शुन्य दस्तावेज के आधार पर अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण को किसी प्रकार क्षति नही पहुँचाये इस बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करावे। अतः प्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमा कर वादग्रस्त आराजी जो प्रार्थना–पत्र के पद सं.1 मे वर्णित है संयुक्त खातेदारी भूमि मे प्रार्थीगण के 1/12 हिस्से के कब्जे काश्त मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे व वादग्रस्त आराजी का बेचान व हस्तान्तरण मूल वाद के निर्णय तक नही करे इस बाबत वादग्रस्त आराजी के रेकर्ड व मौके की यथास्थिति प्रदान कराने की कृपा करावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। बाद तलबी अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से वकील श्री महेन्द्र शर्मा एवं वकील श्री शंकरलाल मीणा ने वकालतनामा मूल वाद मे प्रस्तुत किया गया। पत्रावली वास्ते जबाब हेतू नियत हुई। अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से पेशी दिनांक– 26/02/2021 को जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि– अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के खिलाफ वाद प्रस्तुत जरूर किया है मगर उसमे सफलता मिने की कोई गुंजाईश नही है, प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष नही है। प्रार्थना–पत्र के पैरा संख्या तीन मे वर्णित वंशावली सही है। स्व. पोमाराम का कितना हिस्सा है वादीगण साबित करे एवं कोपार्सनर कैसे हुए प्रार्थीगण स्वयं साबित करे। प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष मे है। सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी के पक्ष मे है। प्रार्थीगण वाद पत्र के पैरा संख्या दो मे फुसाजी के तीन पुत्र होना बताते है एवं उक्त पैरा मे दो पुत्र हाना बताते है व पोमाराम का हिस्सा 1/6 होना गलत बताते है तो प्रार्थीगण स्पष्ट करे कि 1/6 हिस्सा गलत कैसे है। अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त भी अप्रार्थी के पक्ष मे है। पोमारामजी ने अपना 1/6 हिस्सा अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष मे सम्पूर्ण हिस्सा का बख्शीश नामा दिनांक– 19/07/2019 को करवा दिया व राजस्व रेकर्ड मे नाम भी दर्ज करवा दिया जिससे यह स्पष्टतया साबित है कि 1/6 हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे है जो सही है एवं दिनांक– 19/07/2019 को बख्शीशनामा निष्पादित करवाया जो विधि अनुरूप एवं कानूनन सही एवं विधिवत है तभी उप पंजीयन अधिकारी ने पंजीबद्ध किया व राजस्व कर्मचारियों ने विधिवत दस्तावेज होने पर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया है। बख्शीशनामा शुन्य है या गलत है तो उसके निरस्त या शुन्य करवाने के लिए सक्षम न्यायालय मे कार्यवाही करनी चाहिए। वादग्रस्त आराजी का मौके पर बंटवाडा किया हुआ है एवं उसी अनुरूप सभी सह खातेदार मौके पर काबिज है। अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त अप्रार्थी के पक्ष मे है बख्शीशनामा विधिवत् कानूनन सही होने से पंजीबद्ध हुआ एवं उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया गया जिससे वादग्रस्त आराजी का 1/6 हिस्से अनुसार अप्रार्थी संख्या एक का कब्जा है व मौके पर काबिज है, मात्र प्रार्थीगण के कहने से शुन्य नही हो सकता। प्रथम दृष्टया मामला भी अप्रार्थी के पक्ष मे है। बख्शीशनामा सगे पिता एवं पुत्र होने से एवं आपस मे खुन का रिश्ता होने एवं पिता की सेवा से खुश होकर पिता ने वादग्रस्त आराजी बख्शीश की है [illegible] हिस्से अनुसार अप्रार्थी संख्या एक का

––कमशः पेज– 5 पर......

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 15:33:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

कब्जा एवं काश्त है, प्रार्थीगण का कब्जा एवं काश्त नही है। सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष मे है। प्रार्थीगण कोपार्सनर हैं या नही यह प्रार्थीगण स्वयं साबित करे। राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थीगण खातेदार ही नही है न ही प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त है जिससे विधि अनुरूप बंटवाडा, घोषणा करवाने जाने का वाद प्रस्तुत करने का हक एवं अधिकार प्राप्त नही है।। प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया मेन्टेनेबल नही होने से खारीज फरमाया जावे। वादग्रस्त आराजी संयुक्त शामलाती नही है न ही प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। बख्शीशनामा को आधार बना कर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जिसको निरस्त एवं शुन्य घोषित करवाने का हक अधिकार सिविल न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नही है। बिना खातेदारी स्वामित्व एवं आधिपत्य एवं कब्जा काश्त के प्रार्थीगण, अप्रार्थी के खिलाफ निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारीज फरमाया जावे। जो शमिल पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थीगण संख्या–2 से 18 के नोटिस दिनांक– 7/08/2020 को तामील प्राप्त हो होने व बावजूद सूचना के अप्रार्थीगण अनुपस्थित अतः अप्रार्थी संख्या–2 से 18 के विरूद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक– 26/02/2021 को एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश किया गया। अप्रार्थी संख्या–19 फोरमल पक्षकार है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत हुई।

बहस वकुलाय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मे 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण के पूर्वज पर दादा फुसा वल्द उमा की खातेदारी का था, जो प्रस्तुत राजस्व अभिलेख पुरानी जमाबंदी की प्रतिलिपि से स्पष्ट है एवं फुसा की मृत्युपरान्त उनकी खातेदारी का 1/2 हिस्सा उनके वारिसान तीनो पुत्रो पोमाराम, मांगीलाल व लुम्बाराम खातेदार हुए। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी मे उक्त पैतृक 1/2 हिस्सा स्व. फुसा के वारिसान उक्त तीनो पुत्रो पोमाराम, मांगीलाल व लुम्बाराम के पैतृक संयुक्त खातेदारी आधिपत्य का हुआ एवं एवं पोमाराम एवं उनके दो पुत्र घीसाराम एवं अमराराम का संयुक्त हिन्दु परिवार था, जो इनके संयुक्त हिन्दु परिवार के सहदायिक सदस्य थे एवं घीसाराम की मृत्यु उसके पिता पोमाराम से पूर्व होने पर उनके वारिसान प्रार्थीगण उक्त संयुक्त हिन्दु परिवार के सहदायिक सदस्य हुए इस प्रकार वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थीगण के पूर्वज स्व. फुसाजी से विरासत मे प्राप्त सुदा 1/6 हिस्सा स्व. पोमाराम के संयुक्त हिन्दु परिवार के सभी सहदायिको के खातेदारी आधिपत्य का कानूनन है एवं इस पैतृक 1/6 हिस्से मे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या–1 सभी सहदायिक सदस्यो का दादा की सम्पति मे जन्म से ही बतौर सहदायिक के समान रूपेण हकदार हुए है, जिस अनुरूप पिता पोमाराम बतौर सहदायिक के मात्र 1/18 वां हिस्सा ही कानूनन विद्यमान था जिससे मात्र रेकर्ड मे स्व. प्रार्थीगण के दादा स्व. पोमाराम के नाम से उक्त 1/6 हिस्सा दर्ज होने मात्र से कानूनन पोमाराम इस सम्पूर्ण 1/6 हिस्से का खातेदार नही था, जिससे पोमाराम को इस सम्पूर्ण 1/6 हिस्से को बख्शीश अप्रार्थी संख्या–1 को करने का कानूनन कोई हक अधिकार नही था। इस प्रकार पोमाराम द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष मे किया गया प्रश्नगत बख्शीश–नामा कानूनन शून्य है, जिससे अप्रार्थी संख्या–1 को कोई हक अधिकार कानूनन प्राप्त नही हुए है। एवं वादग्रस्त आराजी मे विद्यमान स्व. पोमाराम के नाम दर्ज 1/6 हिस्से [illegible] एवं अप्रार्थी संख्या–1 समान रूपेण यानि 1/12 वां, 1/12 वां हिस्से के कानूनन [illegible] काबिज मालिक है एवं प्रार्थीगण का कानूनन वादग्रस्त आराजी मे पैतृक 1/12 वां हिस्सा [illegible] है जिससे प्रश्नगत् बख्शीशनामा शून्य होने से इसे शुन्य मानते हुए [illegible] हक अधिकारो के तहत खातेदारी की घोषणा कराने एवं निषेधाज्ञा एवं बंटवाडा करवाने [illegible] प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद अन्तर्गत धारा–

––क्रमशः पेज– 6 पर......

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 15:33:22 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर (एस.डी.ओ.) (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

88, 89, 188, 92ए, 53 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है, जो धारा– 207 आर.टी.एक्ट के तहत श्रीमान् राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है एवं प्रार्थीगण का यह राजस्व वाद कानूनन मेन्टेनेबल है। मूल वाद के निर्णय मे समय लगेगा जबकि अप्रार्थी संख्या–1 उक्त शून्य बख्शीश–नामा के जरिये अपने नाम कराये नामान्तरकरण व इन्द्राज के जरिये प्रार्थीगण के हक हिस्सो सहित सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा अन्यंत्र खुर्द बुर्द, फरोख्त, हस्तान्तरण करने पर आमादा है एवं प्रार्थीगण के काश्त एवं उपयोग उपभोग मे नाजायज दखलन्दाजी पर आमादा है, जिससे यदि मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थी संख्या–1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर वादग्रस्त आराजी का उक्त हिस्सा को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द फरोख्त हस्तान्तरण करने से नही रोका गया एवं प्रार्थीगण के काश्त व उपयोग मे किसी प्रकार से दखलन्दाजी करने से नही रोका गया तो प्रार्थीगण अपने विधिक एवं जायज हक अधिकारो से वंचित रह जावेगे एवं प्रार्थीगण को अकथनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति नही की जा सकेगी। इस प्रकार अस्थायी निषेधाज्ञ जारी किये जाने हेतु तीनो ही सिद्धान्त बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपेर्णनीय क्षति का सिद्धान्त, प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होते है अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

एवं वकील अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा दौराने बहस अपने जबाब के तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि पोमाराम द्वारा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज उसकी खातेदारी का 1/6 हिस्सा विधिवत अपने पुत्र अप्रार्थी को प्रश्नगत् बख्शीश के जरिये बख्शीश किया है, जो विधि पूर्ण है, जिसके जरिये विधिवत अप्रार्थी संख्या–1 के नाम अमल दरामद हुआ है एवं बख्शीश–नामा शून्य है तो प्रार्थीगण को सक्षम सिविल न्यायालय मे कार्यवाही करनी चाहिए एवं प्रार्थीगण का मूल वाद श्रीमान् राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का नही है एवं वादग्रस्त आराजी का मौके पर बंटवाडा किया हुआ है एवं अप्रार्थी संख्या–1 वादग्रस्त आराजी के 1/6 हिस्से का सह खातेदार है, जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड से साबित है एवं मात्र प्रार्थीगण के कहने से प्रश्नगत बख्शीश–नामा शून्य नही हो जाता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष मे नही होकर अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष मे साबित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली एवं मूल वाद की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

इस प्रार्थना–पत्र के निस्तारण हेतू अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न तीन बिन्दुओं पर विचार किया गया–

<u>प्रथम दृष्टया मामला :–</u> मूल वाद की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी सम्वत् 2043 से 2056 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जिसकी फोटो प्रति इस पत्रावली के साथ प्रस्तुत की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी मे 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण के पूर्वज पर दादा फुसा वल्द उमा की खातेदारी का था एवं [illegible] के पैरा– 3 मे स्व. फुसाजी की वंशावली को दर्शाया गया है, जिसे [illegible] है जिस वंशावली अनुसार फुसा की मृत्युपरान्त उनकी [illegible] वारिसान तीनो पुत्रो पोमाराम, मांगीलाल व लुम्बाराम खातेदार हुए। इस प्रकार [illegible] आराजी मे उक्त पैतृक 1/2 हिस्सा स्व. फुसा के वारिसान उक्त तीनो पुत्रो पोमाराम, मांगी[illegible] व लुम्बाराम के पैतृक संयुक्त खातेदारी

––क्रमशः पेज– 7 पर......

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 15:33:22 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर (एस.डी.ओ.) (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आधिपत्य का होना एवं पोमाराम एवं उनके दो पुत्र घीसाराम एवं अमराराम का सहदायिक सदस्य होना एवं घीसाराम की मृत्यु उसके पिता पोमाराम से पूर्व होने पर उनके वारिसान प्रार्थीगण उक्त संयुक्त हिन्दु परिवार के सहदायिक सदस्य होना प्रतीत होता है इस प्रकार वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थीगण के पूर्वज फुसाजी से विरासत मे प्राप्त सुदा 1/6 हिस्सा पैतृक होने से स्व. पोमाराम के संयुक्त हिन्दु परिवार के सभी सहदायिको के खातेदारी आधिपत्य का कानूनन होता है एवं वादग्रस्त आराजी के प्रार्थीगण के दादा उक्त पोमाराम के नाम दर्ज पैतृक 1/6 हिस्से मे मृत पोमाराम के पोत्र प्रार्थीगण एवं पुत्र अप्रार्थी संख्या–1 सभी सहदायिक सदस्यो का दादा/पिता की सम्पति मे जन्म से ही बतौर सहदायिक के समान रूपेण हक हिस्सा एवं अधिकार निहित होना प्रतीत होता है, जिस अनुरूप स्व. पोमाराम बतौर सहदायिक के मात्र 1/18 वां हिस्सा का ही कानूनन हकदार होता है एवं अप्रार्थी द्वारा अपने जबाब एवं बहस मे यह उजर नही किया है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक नही है एवं यह भी नही बताया कि पोमाराम के नाम रेकर्ड मे दर्ज 1/6 हिस्सा उसके स्वयं अर्जित है एवं न ही इस संबंध मे कोई अभिलेख साक्ष्य ही प्रस्तुत की है इसके विपरित राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी सम्वत् 2043 से 2056 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जिसकी फोटो प्रति इस पत्रावली के साथ प्रस्तुत की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी मे 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण के पूर्वज पर दादा फुसा वल्द उमा की खातेदारी का था एवं इनके बाद बंशावली के अनुसार प्रार्थीगण का भी दादा की सम्पति मे जन्म से ही हक अधिकार निहित हो जाता है, जिससे मात्र रेकर्ड मे प्रार्थीगण के दादा स्व. पोमाराम के नाम से उक्त 1/6 हिस्सा दर्ज होने मात्र से कानूनन पोमाराम इस सम्पूर्ण 1/6 हिस्से का खातेदार नही हो जाता है, जिससे पोमाराम को इस सम्पूर्ण पैतृक 1/6 हिस्से को अप्रार्थी संख्या–1 को बख्शीश करने का कानूनन कोई हक अधिकार नही था। इस प्रकार पोमाराम द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष मे किया गया प्रश्नगत बख्शीश–नामा प्रथम दृष्टया कानूनन शून्य होना प्रतीत होता है, जिससे अप्रार्थी संख्या–1 को बख्शीश सुदा सम्पूर्ण पैतृक 1/6 हिस्से के हक अधिकार कानूनन प्राप्त नही होते है अपितु इस पैतृक दादा के 1/6 हिस्से मे स्व. पोमाराम के पुत्र मृत घीसाराम के वारिसान प्रार्थीगण का भी कानूनन हक अधिकार निहित होना पाया जाता है जिससे मेरी विनम्र राय मे प्रश्नगत् बख्शीशनामा प्रथम दृष्टया शून्य होने के आधार पर वास्तविक पैतृक हक अधिकारो के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया मूल वाद अन्तर्गत धारा– 88, 89, 188, 92ए, 53 राज0 काश्त0 अधिनियम के तहत इस राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होना पाया जाता है एवं वास्तविक रूप मे पक्षकारो के हक हिस्सो एवं अधिकारो का निर्णय मूल वाद के मेरिट पर निर्णय एवं निस्तारण पर ही होगा किन्तु उपरोक्त विवेचन मे मेरी विनम्र राय मे मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थी संख्या–1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर वादग्रस्त आराजी के रिकार्ड मे उसके नाम दर्ज 1/6 हिस्सा को अन्यंत्र खुर्द बुर्द, हस्तान्तरण भारग्रस्त करने से एवं प्रार्थीगण के काश्त एवं उपयोग उपभोग मे दखलन्दाजी करने से रोका जाना न्याय संगत होगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होना पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 15:53:22 IST
Reason: SelfAttested

सुविधा का संतुलन– अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कि[illegible]बत सुविधा का संतुलन बिन्दु पर विचार किया गया। पत्रावली पर [illegible] वादग्रस्त आराजी पैतृक संयुक्त खातेदारी की होना पाया जाता है [illegible] सम्पति पैतृक होना एवं दादा मृत पोमाराम के हिस्से मे उसके मृत पुत्र घीसाराम के वारिसान प्रार्थीगण का दादा की पैतृक वादग्रस्त आराजी सम्पति मे प्रार्थीगण बतौर सहदायिक के जन[illegible] हक हिस्सा एवं अधिकार होना प्रथम दृष्टया पाया जाता है, जिससे यदि पोमाराम द्वारा रिकार्ड मे दर्ज उसके सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा का

––कमशः पेज– 8 पर......

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रश्नगत बख्शीश–नामा के जरिये अप्रार्थी संख्या–1 के नाम दर्ज होने से अप्रार्थी द्वारा खुर्द बुर्द अन्यंत्र हस्तांतरण किये जाने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होना पाया जाने से मेरी विनम्र राय मे सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होता है।

अपूर्णनीय क्षति– अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया तथा चूँकि प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होने से एवं वादग्रस्त आराजी मे पैतृक हक अधिकारो अनुसार प्रार्थीगण के दादा पोमाराम के पैतृक 1/6 हिस्से मे बतौर सहदायिक के पोत्रो प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया हक अधिकार निहित होना प्रतीत होता है, जिससे यदि अप्रार्थी संख्या–1 को सम्पूर्ण पैतृक 1/6 हिस्सा को अन्यंत्र खुर्द बुर्द, हस्तान्तरण कर दिये जाने एवं प्रार्थीगण के काश्त आदि मे दखलन्दाजी किये जाने पर प्रार्थीगण अपने पैतृक जायज हक अधिकार से वंचित हो सकते है एवं प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होने की संभवना है, जिससे मेरी विनम्र राय मे अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण पर लागु होता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित होने एवं अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी पर लागु होने से मेरी विनम्र राय मे प्रार्थी का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य मानती हूँ।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थी का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थी सं0–1 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि– प्रार्थना–पत्र के पद संख्या–1 मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के रेकर्ड मे अप्रार्थी संख्या–1 के नाम दर्ज हिस्से को, अप्रार्थी किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द, हस्तान्तरण एवं अन्य संक्रामण, भारग्रस्त नही करे एवं प्रार्थीगण के पैतृक हिस्से प्रार्थीगण के काश्त, उपयोग उपभोग मे कोई दखल नही करे न किसी अन्य से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक–27/08/2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 15:33:22 IST
Reason: SelfAttested